


दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामीत
में जारी हुए

18.1.21

पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी उपस्थित, तहसीलहासमाज
से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली
किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तवा आवाजे
दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। उनके
बिना एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश
दिया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल
सुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ठिसीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना आर ए एस

कदमा संख्या - 160/21 प्रा-पञ

श्री सुरतदेव ज्ञो श्री मौहनशरीक निवासी-हिसानिया तहसील माण्डल

प्रार्थी

बनाम

श्री शिवलाल ज्ञो श्री मौहनलाल शरीक निवासी-हिसानिया तहसील माण्डल
 श्री बालु ज्ञो श्री रेमा लाल निवासी-हिसानिया तहसील माण्डल
 राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार शा माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 18-01-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिसानिया पटवार हल्का हिसानिया तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 2199/2056 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हिसियर बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.12.21 को पजीबट्ट किया जाकर प्रकरण को प्रव्लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी करने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हिसानिया पटवार हल्का हिसानिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2199/2056 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हिसियर बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलभास को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा